<u>प्रेस विज्ञप्ति</u>

-हक की आवाज़-

देश में नागरिक प्रतिरोध बढ़ रहा है। इसी कड़ी में भारत के दलित, किसान और पूर्व-सैनिक अपनी माँगों और न्याय के लिए एकसाथ एक मंच पर आए हैं। इस मोर्चे को समाज के अन्य तबकों का भी भरपूर सहयोग है।

ऑल इंडिया अम्बेडकर महासभा (ए.आई.ए.एम)

1. 2 अप्रैल 2018 को भारत बंद के बाद चंद्रशेखर, शिव कुमार प्रधान, सोनु, उपकार बावरे व कई लोगों को एनएसए के द्वारा गिरफ्तार किया गया था या उन लोगों के खिलाफ मुकदमें चल रहे हैं। हमारी मांग है कि इन सारे मुकदमों को वापस लिया जाए।

2. अनुसूचित जाति एंव अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निरोधक) अधिनियम, 1989 को पूर्ण रूप से लागु किया जाए। जैसा सुप्रीम कोर्ट के 20 मार्च 2018 के फैसले से पहले होता था।

3. संविधान के अनुच्छेद 312 के तहत भारतीय न्यायिक सेवा की स्थापना की जाए।

ऑल इंडिया किसान सभा (ए.आई.के.एस)

1. किसानों को फसलों का न्यूनतम समर्थन मुल्य उत्पादन की लागत का ढाई गुना (सी2+ 50%) तय की जाए साथ ही इस मुल्य पर पर गारंटीकृत खरीद का भरोसा दिया जाए।

2. किसानों के बैंक ऋण, सहकारी ऋण और निजी ऋण सहित सभी किसानों के तमाम प्रकार के ऋणों को एक बार पूर्ण रूप से माफ किया जाए।

3. भूमिहीन गरिबों के लिए भूमि, बेघरों को घर, बिना उचित मुआवजा और पुनर्वास के किसानों की भूमि के जबरण अधिग्रहण पर प्रतिबंध व साथ ही वन अधिकार अधिनियम को सख्ती से लागू किया जाए।

इंडियन एक्स सर्विसमेन मूवमेंट (आई.ई.एस.एम)

1. भारत की संसद के द्वारा अनुमोदित परिभाषा के अनुसार पूर्ण ओआरपी।

2- फंक्शनल और पे पैरिटी को समाप्त करें, भारतीय सेना के जवानों की परिस्थितियों को बद्दतर बनाना बंद करें और 1947 के स्टेटस को दोबारा स्थापित करें (वॉरेंट ऑफ प्रेसडेन्स के आधार पर)। आर्म्ड फोर्सेज हेडक्वार्टर सिविल सर्विसेज (AFHQ CS) को समाप्त करें।

3. कैंटोनमेंट रोड पर नए निर्देश को रद्द कर के सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिये गए निर्देश को लागू किया जाए। सीएजी और सीजीडीए द्वारा उठाए गए मामलों पर विचार किया जाए।

इन मामलों के अलावा तीन संगठनों ने संयुक्त रूप से निम्नलिखित तीन महत्वपूर्ण मुद्दों पर साथ लड़ने का फैसला किया हैः

1. देश से नफरत और भीड़ द्वारा फैलाई जा रही हिंसा पर पूरी तरह रोक लगे। इन मामलों की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से की जाए वहीं ज़िम्मेदार व्यक्तियों की न केवल गिरफ्तारी की जाए बल्कि इस हिंसा का समर्थन देने वालां के खिलाफ भी कार्यवाही की जाए।

2. लोकसभा व राज्य की विधानसभाओं मे महिलाओं को 33 फीसदी आरक्षण की गारंटी देने वाले विधेयक को लागू किया जाए। यह आरक्षण उन्हें वर्तमान 16वीं लोकसभा में ही दे दिया जाए।

3. आधार ने कई कल्याणकारी योजनाओं को बर्बाद कर दिया है इसलिए इसे तुरंत ख़ारिज किया जाए। इसने सरकारी योजनाओं से समाज के बड़े तबके को बाहर कर दिया और नए तरह के भेदभाव को जन्म देकर नागरिक स्वतंत्रता के साथ खिलवाड़ किया। हमें बड़ी तेज़ी से एक ऐसे देश बनने की दिशा में धकेल रहा है जहाँ नागरिकों के व्यक्तिगत और सार्वजनिक जीवन की सरकार आसानी से जासूसी कर सकती है।

हम तमाम राजनितीक दलों और नेताओं को उपरोक्त सभी मांगों में हमारा साथ देने का आह्वान करते हैं।

इस आंदेलन में शामिल होने और अपने अधिकारों की मांग के लिए खड़े होने को हम देश के आम नागरिकों व संगठनों को भी आमंत्रित करते हैं। हम अपने तमाम मुद्दों को उजागर करने के लिए ज़मीनी स्तर के अलावा मीडिया (सोशल मीडिया) पर भी आने वाले कुछ महीनों में कार्रवाईं दिखेंगी। किसी भी चीज की अब प्रकाष्ठा हो चुकी है और अब हम सब चुनावी राजनीति का शिकार नहीं होने वाले।

हम देश को यह भी सुचित करना चाहते हैं कि अब ये तीनों सगठन जो समाज के तीन महत्वपूर्ण भाग का प्रतिनिधित्व करते हैं, यह सब आपसी सम्मान के साथ एक सहानुभूतिपूर्ण तरीके से काम करेंगे। 'कॉल्स फॉर ऐक्शन' के तहत हमारे घटक दलों द्वारा सक्रिय रूप से समर्थन किया जाएगा।

अधिकारिक प्रवक्ता-

आनंद मंगनाले, +91-9970046164

मेजर प्रियादर्शी चौधरी, एससी, +91-9810712162

रघु/गोदावर, +91-9717749998

अगस्त में होगा भारत बंद

09 अगस्त 2018: भारत बंद। ऑल इंडिया अम्बेडकर महासभा द्वारा किया गया बंद का एलान।

इसमें दलित, किसान और देश के जवान इस बंद में शामिल होकर अपने हक की आवाज़ बुलंद करेंगे।

FB - HaqKiAwaazMovement
Twitter - @HaqKiAwaazIndia
Email - haqkiawaazmovement@gmail.com